# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
# छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक एफ : 01–58 / 2021 / विज्ञप्त / 1350 रायपुर, दिनांकः 13 / 06 / 2022

## "संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ अंतर्गत चिकित्सा विशेषज्ञ के रिक्त पदों की नियमित नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन की सूचना"

––000––

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर का विज्ञापन क्रमांक 08 / 2021 / परीक्षा, दिनांक 23.10.2021 के माध्यम से संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञ के 641 रिक्त पदों की नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। उक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर में दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार का आयोजन दिनांक 28.02.2020 से 05.03.2020 तक किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा साक्षात्कार उपरांत विभिन्न विषय विशेषज्ञों (रेडियोलॉजी / एपीडेमोलॉजिस्ट / मनोरोग / क्लीनिकल बायोलाजिस्ट / अस्थिरोग / मेडिसीन / निश्चेतना / स्त्रीरोग / सर्जरी / शिशुरोग) के अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम की सूची एवं अनुपूरक सूची जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा साक्षात्कार उपरांत जारी विभिन्न विषय विशेषज्ञों (रेडियोलॉजी / एपीडेमोलॉजिस्ट / मनोरोग / क्लीनिकल बायोलाजिस्ट / अस्थिरोग / मेडिसीन / निश्चेतना / स्त्रीरोग / सर्जरी / शिशुरोग) के अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम की सूची एवं अनुपूरक सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 10.06.2022 को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में आयोजित किया गया था। जिसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए, उनका दस्तावेज सत्यापन दिनांक 20.06.2022 को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में आयोजित किया गया है। समस्त अनुपस्थित अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है।

1. कोविड–19 संक्रमण को देखते हुए अनावश्यक भीड़ न हो इस उद्देश्य से समय–सीमा निर्धारित की गई है। **अतः समस्त अभ्यार्थी निर्धारित समय–सीमा का पालन करें एवं शासन नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।**

2. अभ्यार्थी को अपने साथ विज्ञापन में दर्शित दस्तावेजों यथा 10 वी, 12वी, समस्त वर्ष के एम.बी.बी.एस., पी.जी. का अंकसूची, छ.ग. मेडिकल कौसिल / अन्य मेडिकल कौसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, शपथ पत्र–1 एवं शपथ पत्र–2 की **मूल प्रति एवं दो स्व–प्रमाणित छायाप्रति** लाना अनिवार्य है।

3. अभ्यार्थी उपरोक्त दस्तावेज निम्न क्रम में व्यवस्थित कर प्रस्तुत करेः–

   1. **ऑनलाईन आवेदन की प्रति**
   2. **हाई स्कूल प्रमाण पत्र**

3. हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र,
4. एम.बी.बी.एस. (प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष)
5. पी.जी. का अंकसूची,
6. छ.ग. मेडिकल कौसिल/अन्य मेडिकल कौसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र,
7. मूल निवास प्रमाण पत्र,
8. जाति प्रमाण पत्र,
9. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र,
10. अनुभव प्रमाण पत्र,
11. दिव्यांग प्रमाण पत्र,
12. आय प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए) (आवेदन तिथी से 03 वर्ष पूर्व तक का ही आय प्रमाण पत्र मान्य)
13. शपथ पत्र–1,
14. शपथ पत्र–2.

4. अभ्यार्थी अपने साथ पहचान पत्र (पेन कार्ड/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता परिचय पत्र) अनिवार्य रूप से लावें।

5. अभ्यार्थी को उक्त दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ द्वारा किसी भी प्रकार का टीए/डीए देय नहीं होगा।

6. **यदि किसी अभ्यार्थी द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय–सीमा में उपरोक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें उक्त दस्तोवज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा।**

7. निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को सर्वप्रथम पंजीयन काउंटर में पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी के दस्तावेज का सत्यापन/परीक्षण किया जायेगा।

8. पंजीयन एवं दस्तावेज सत्यापन ये प्रक्रियाएं अनिवार्य है, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित/उपस्थिति होना अनिवार्य है।

9. अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन छत्तीसगढ़ लोक सेवा अयोग, रायपुर द्वारा जारी अंतिम चयन परिणाम की सूची एवं अनुपूरक सूची के क्रम अनुसार की जावेगी।

**संचालक**
**स्वास्थ्य सेवायें**
**छत्तीसगढ़**